

## रेरा की सख्ती : पीड़ित घर खरीदारों को सात मामलों में बिल्डरों ने लौटाए 53 लाख

पटना | रera बिहार में दायर सात अलग-अलग निष्पादन मामलों में गलती करने वाले प्रमोटरों ने पीड़ित घर खरीदारों को 53 लाख रुपये वापस कर दिए हैं। पहले निष्पादन मामले में सुनवाई 15 जनवरी को रera बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह की एकल पीठ में हुई। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि 20 लाख रुपए वापस कर दिए गए हैं, शेष राशि मार्च से 3 लाख रुपए प्रति माह की किस्तों में वापस की जाएगी। एक अन्य मामले में प्रमोटर जैस्कॉन एंटरबिल्ड ने 16.06 लाख रुपये में से 11 लाख रुपये वापस कर दिए। इसके अलावा प्रमोटर काजरी इंफ्राटेक को निर्देश दिया गया था कि वह शिकायतकर्ता शोभा सिंह को ब्याज सहित 15.06 लाख रुपये की मूल राशि वापस करे।

यह हैं अन्य मामले, जिसमें पीड़ितों को राशि मिली

- अदालत के निर्देश के बाद भी शिकायतकर्ता वृज किशोर सिंह को 3 लाख रुपये वापस न करने पर प्रमोटर गृह वाटिका होम्स पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके बाद प्रमोटर ने तुरंत 50 हजार रुपए वापस कर दिए।